

फर्द अहकाम

सोहन सिंह वगै०

वनाम

नाथूसिंह वगै०

न्यायालय का नाम-उपखण्ड अधिकारी जोबनेर  
केस सं० / 2025

क्र०सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	30.04.2025	अधिवक्ता श्री अताउल्लाह खां द्वारा वाद वायत घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्टें हो चुकी है। अतः दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलवी जरिए रजि०एडी० नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 21.05.2025 को पेश हो।	
	21.5-25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण एवं वकील सं. 2 स्वयं उपस्थित। अधिवक्ता वादीगण द्वारा पक्षकारान के सब रजिनामा शे जाने के कारण वाद पर 'Not Press' करने की अनुमति प्रदान करने हेतु विवेदन किया गया। अधिवक्ता वादीगण के विवेदन पर वाद Not Press करने की अनुमति प्रदान की गयी। वादीगण का वाद 'Not Press' के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फौसल शुमार हीनर नंबर से काम हीनर दाखिल दफतर हो।	<p>उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p> <p>रजिनामा, केस Not Press Lehuleh Foussal Shumal 21/5/25</p> <p>DSC उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p>